सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 135/2017 दायर दिनाँक 25.05.2017

वादी		प्रतिवादीगण
1. दातारसिंह पुत्र छीतरसिंह, उम्र–[illegible], जाति–राजपूत, निवासी–छोटी खाटू, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. खेमाराम पुत्र नोलाराम, 2. रामचन्द पुत्र नोलाराम, समस्त,निवासी–छोटी खाटू, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 3. ग्रामपंचायत छोटी खाटू, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 4. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 53, 188 R.T.Act.

उपस्थित :–

1. श्री मोहम्मद शरीफ शेरानी, वकील, वादी।
2. श्री मोहम्मद रफीक, वकील, प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 09.11.2017

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, मौजा शरहद खाटूखुर्द में स्थित खेत खसरा नम्बर 1194 रकबा 08.13 बीघा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 02 तक की संयुक्त खातेदारी का स्थित है। नकल पेश है।

प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के मध्य उक्त खेत का बन्टवारा काफी अर्सा पहले हो चुका है उसी बन्टवारे के अनुसार प्रतिवादी संख्या 02 रामचन्द्र ने अपने हक हिस्से व अधिकार की भूमि में से वादी को इस आशय की पश्चिम की तरफ की रकबा 03 बीघा भूमि का बेचाण करके मौके पर कब्जा सुपुर्द किया था। तब से वादी उक्त कब्जासुदा रकबा 03 बीघा भूमि पर काबिज चला आ रहा है तथा वादी का नाम उक्त खेत में 03 बीघा भूमि का बतौर खातेदार नाम दर्ज हुआ।

मौजा शरहद खाटूखुर्द में स्थित खेत खसरा नम्बर 1194 रकबा 08.13 बीघा में से अकेले वादी के पश्चिम दिशा की रकबा 03 बीघा तथा प्रतिवादी संख्या 01 की रकबा 04.06 बीघा, प्रतिवादी संख्या 02 के रकबा 01.03 बीघा भूमि व प्रतिवादी संख्या 03 के रकबा 0.04 बीघा संयुक्त रूप से खातेदारी में रखा जाना आवश्यक व न्यायसंगत है।

शरहद खाटूखुर्द में स्थित खेत खसरा नम्बर 1194 रकबा 08.13 बीघा में वादी व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का संयुक्त खातेदारी में नाम दर्ज होने से वादी को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है जिस हेतु वादी द्वारा प्रतिवादीगण

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

संख्या 01 व 02 से बार–बार निवेदन करने के पश्चात् भी प्रतिवादी संख्या 01 व 02 द्वारा उक्त खेत का बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स विधिवत् बन्टवारा नहीं करवाने व रिकॉर्ड दुरस्ती नहीं करवाने से वादी की ओर से यह वाद–पत्र विरुद्ध प्रतिवादी वास्ते घोषणा, रिकॉर्ड दुरस्ती, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का लाजमी होने से पेश है।

बिनाय दावा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण मौजा शरहद खाटूखुर्द में स्थित खेत खसरा नम्बर 1194 रकबा 08.13 बीघा में वादी की रकबा 03 बीघा पश्चिमी भूमि होने से तथा पक्षकारान् के बीच विधिवत् बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विधिवत् बन्टवारा न होने से वादी को काफी परेशानियों का सामना करने से तथा वादी द्वारा प्रतिवादी से इस बाबत् करने से तथा उसके बावजूद प्रतिवादी द्वारा विधिवत् बन्टवारा व रिकॉर्ड दुरस्ती नहीं करने से इन्कार अदातल हाजा के उत्पन्न हो रहा है।

प्रार्थना वादी है कि–

मौजा शरहद खाटूखुर्द में स्थित खेत खसरा नम्बर 1194 रकबा 08.13 बीघा में से अकेले वादी के पश्चिम दिशा की रकबा 03 बीघा तथा प्रतिवादी संख्या 01 की रकबा 04.06 बीघा, प्रतिवादी संख्या 02 के रकबा 01.03 बीघा भूमि व प्रतिवादी संख्या 03 के रकबा 03 बीघा संयुक्त रूप से खातेदारी की घोषित की जाकर तद्नुसार बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विधिवत् बन्टवार किया जावे। वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01, 03 व 04 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने का ओदश पारित किया गया।

वादी व प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से राजीनामा पेश हुआ। वादी व प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से पेश राजीनामा की इबारत् पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गयी, जिसे बिना बिना किसी दबाव व लालच के सही होना पक्षकारान् द्वारा स्वीकार किया गया। वादी की पहचान अधिवक्ता श्री मोहम्मद शरीफ शेरानी ने की तथा प्रतिवादी की पहचान अधिवक्ता श्री मोहम्मद रफीक ने की है। हस्ब बख्वाहिश राजीनामा तस्दीक किया गया।

राजीनामा के अनुसार–

मौजा शरहद खाटूखादु में खसरा नम्बर 1194 रकबा 08.13 बीघा में से वादी के पश्चिम दिशा में रकबा 03 बीघा व प्रतिवादी संख्या 01 के रकबा 04.06 बीघा व प्रतिवादी संख्या 02 के रकबा 01.03 बीघा व प्रतिवादी संख्या 03 रकबा 0.04 बीघा संयुक्त रूप से घोषित किया जाने पर सहमति है।

वाद के संलग्न वाद के समर्थन में वादी का शपथ–पत्र, जमाबन्दी ग्राम खाटूखुर्द सम्वत् 2070–2073 खेवट संख्या 125/110 की प्रमाणित प्रतिलिपि, नक्शा ट्रेश ग्राम खाटूखुर्द खसरा 1194 की प्रमाणित प्रतिलिपि, पेश है।

वकुलाय उभयपक्ष की सारगर्भित बहस सुनी गई। अधिवक्तागण पक्षकारान् राजीनामा मुताबिक दावा डिक्री किया जाने की इस्तदुआ कर रहे हैं। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

पक्षकारान् ने राजीनामा पेश कर दिया है। पक्षकारान् चाहते हैं कि मौजा शरहद खाटूखुर्द में खसरा नम्बर 1194 रकबा 08.13 बीघा में से पश्चिमी दिशा की भूमि रकबा 03 बीघा वादी की खातेदारी में, रकबा 04.06 बीघा प्रतिवादी संख्या 01 व रकबा 01.03 बीघा प्रतिवादी संख्या 02 की खातेदारी में, रकबा 0.04 बीघा प्रतिवादी संख्या 03 की खातेदारी में संयुक्त रूप से घोषित की जावे। वाद में किसी पक्षकार द्वारा वाद का खण्डन नहीं किया गया है। पक्षकारान राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में दावा डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः, वाद विवेचन, वाद वादी, पक्षकारान् राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में डिक्री किया जाता है।

आदेश

हस्ब राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर शरहद खाटूखुर्द पटवार क्षेत्र खाटूखुर्द भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खाटूखुर्द तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान, में खसरा नम्बर 1194 रकबा 08.13 बीघा भूमि का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स के से कर, निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जाती है:–

1. पश्चिमी दिशा की भूमि रकबा 03 बीघा का वादी को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. रकबा 04.06 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. रकबा 01.03 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 02 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
4. रकबा 0.04 बीघा भूमि की खातेदारी, प्रतिवादी संख्या 03 के घोषित की जाती है।

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उतमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनॉंक **09.11.2017** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उतमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

दायर दिनॉक 25.05.2017

राजस्व वाद संख्या: 135/2017

वादी		प्रतिवादीगण
1. दातारसिंह पुत्र छीतरसिंह, उम्र–50साल, जाति–राजपूत, निवासी–छोटी खाटु, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. खेमाराम पुत्र नोलाराम, 2. रामचन्द पुत्र नोलाराम, समस्त,निवासी–छोटी खाटू, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 3. ग्रामपंचायत छोटी खाटू, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 4. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा, अन्तर्गत धारा– 88, 53, 188 R.T.Act.

दिनॉंक 09.11.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री मोहम्मद शरीफ शेरानी, वकील, वादी व श्री मोहम्मद रफीक, वकील, प्रतिवादी संख्या 02 ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर शरहद खाटूखुर्द पटवार क्षेत्र खाटूखुर्द भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खाटूखुर्द तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान, में खसरा नम्बर 1194 रकबा 08.13 बीघा भूमि का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स के से कर, निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जाती है:–

1. पश्चिमी दिशा की भूमि रकबा 03 बीघा का वादी को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. रकबा 04.06 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. रकबा 01.03 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 02 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
4. रकबा 0.04 बीघा भूमि की खातेदारी, प्रतिवादी संख्या 03 के घोषित की जाती है।

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.......................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 09.11.2017 को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोट:–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner